

तीसरी अनुसूची

[धारा 136(1) देखिए]

धारा 136 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में “16 खनिज आधारित” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : —

‘16. खनिज आधारित।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “खनिज” के अंतर्गत कच्चा पेट्रोलियम तेल नहीं है और “खनिज आधारित” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा । ’ । 5